सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00131

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 21/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल **(नमूना विक्रेता)**
   फर्म–मै0 पवन वैरायटी स्टोर पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :– वार्ड नम्बर 08, हनुमान मन्दिर के पास, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती वंदना पत्नी श्री पवनकुमार काठपाल **(प्रोपराईटर)**
   फर्म–मै0 पवन वैरायटी स्टोर पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी :– वार्ड नम्बर 08, हनुमान मन्दिर के पास, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(5)/58

निर्णय **दिनांक : 20.12.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2018 को दोपहर बाद 3.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स पवन वैरायटी स्टोर पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल, निवासी वार्ड नम्बर 08, हनुमान मन्दिर के पास, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को विकृता बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त वैरायटी स्टोर का निरीक्षण किया तो वैरायटी स्टोर में रखी एक स्टील की टंकी में लगभग 20 किलोग्राम **सरसों का तेल (Mustard oil)** खुला ही (Loose) आमजन को विक्रय हेतु रखा था । मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **के–927** के नमूनीकरण के लिए 1.6 किग्रा **सरसों का तेल (Mustard oil)** खरीदा। जिसकी कीमत 160/– रूपये (अखरे एक सौ साठ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान **श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन एवं श्री पुरूषोत्तमलाल वघवा** के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **सरसों का तेल (Mustard oil)** विक्रेता **श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजाराम काठापाल** एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **का तेल (Mustard oil)** को बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलों में भरकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–927** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–927** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं .06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः– एलएस/1591/ एक्ट/2018/272 दिनांक 23.10.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–927 सरसों का तेल (Mustard oil) अमानक स्तर FSS(Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 के Regulation No.2.315 (1) (b) का Contravention** पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल **फर्म–मै0** पवन वैरायटी स्टोर पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों का तेल (Mustard oil)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(2)(5)/58** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2019 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.**RCMS2019/00131**

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल (नमूना विक्रेता) ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स पवन वैरायटी स्टोर दुकान पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **सरसों का तेल (Mustard oil)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 के Regulation No.2.315 (1) (b) का Contravention** पाया गया है। प्रार्थी ने **सरसों का तेल (Mustard oil)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावैं। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मिक्स दूध का सैम्पल **के–927** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– एलएस / 1591 / एक्ट / 2018 / 272 दिनांक 23.10.2018 द्वारा **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 के Regulation No.2.315 (1) (b) का Contravention** होना पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवंम मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(5) का उल्लंघन है तथा जुर्मान योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में वर्णित है। साथ ही उपलब्ध कागजात के आधार पर नमूना विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आते है। अतः उक्त विक्रेता पर जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल (नमूना विक्रेता) ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स पवन वैरायटी स्टोर दुकान पदमपुर रोड़, गजसिंहपुर तहसील पदमपुर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **सरसों का तेल (Mustard oil)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **FSS (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 के Regulation No.2.315 (1) (b) का Contravention** पाया गया है। प्रार्थी ने **सरसों का तेल (Mustard oil)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावैं। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 23.10.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(5) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **सरसों का तेल (Mustard oil)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(2) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त श्री पवनकुमार पुत्र श्री राजाराम काठपाल (नमूना विक्रेता) पर **Food Safety and Standards (FOOD PRODUCTS STANDARDS AND FOOD ADDITIVES) Regulaations 2011 as it sold in loose condition.** के तहत **सरसों का तेल (Mustard oil)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(5)/58 के तहत 10000/–रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा चालान नम्बर 36197080 दिनांक 20.09.2019 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **सरसों का तेल (Mustard oil)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.12.19

(डा. गुंजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)